न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2015 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, शाहपुरा
–(प्रार्थी)

बनाम
1.भगवान पि. देवी गुर्जर
2.रसाली पत्नी दल्लाराम गुर्जर
निवासी मालीखेड़ा तह. शाहपुरा
–(विपक्षीगण)

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
:– श्री भोपाललाल गुर्जर अधिक्ता – विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 17.06.2019

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./7906/2006/भीलवाडा सरकार बनाम भगवान गुर्जर निर्णय दिनांक 19.02.2015 इस प्रकार है– तहसीलदार, शाहपुरा ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के आदेश दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु सं. 1, 4 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत कराते हुये अनुरोध किया गया कि ग्राम रहड़ तहसील शाहपुरा में स्थित साबिक आराजी नंबर 403/1 रकबा 21.18 बीघा किस्म नाडी जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 के अनुसार बिलानाम अंकित है। उक्त आराजी भू–भाग में रकबा 2 बीघा भूमि गैरखातेदारी हक से मिसल नंबर 44/71 आदेश दिनांक 20.11.77 नामांतरकरण सं. 814 दिनांक 30.7.72 से हीरा पि. कजोड़ गुर्जर को आवंटन होने से राजस्व अभिलेख में गैरखातेदारी हक से दर्ज किया गया था। तत्पश्चात् आवंटी हीरा का स्वर्गवास हो जाने से विरासत से उक्त आराजी भू–भाग भैरू पि. कजोड़ के नाम अभिलिखित किया गया, तद्परान्त विवादित आराजी भू–भाग का विक्रय होकर पूरा खाता नामांतरकरण सं. 43 दिनांक 19.5.97 से विपक्षीगण के नाम अभिलिखित किया गया है। इस प्रकार किस्म नाडी की भूमि आवंटन की जाकर राजस्व अभिलेख में निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज की गई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में अंकित प्रावधानों के विपरीत व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के भी अनुकूल नहीं है। विवादित आराजी भू–भाग के नवीन बन्दोबस्त के दौरान ख.नं. 731 रकबा 0.51 हैक्टेयर कायम किया गया है। पत्रावली में ग्राम रहड़ की भूमि खसरा नम्बर 403/1 रकबा 2.00 बीघा हीरा पिता कजोड निवासी रहड को नियमन की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त विवादित भूमि के संबंध

में बाद के राजस्व रिकार्ड उपलब्ध है, परन्तु विवादित आराजी का सर्वप्रथम आवंटन/नियमन हीरा पुत्र कजोड़ को किया गया है, वह किन परिस्थितियों में किया गया, इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि मामले की पुनः जांच कर दिनांक उक्त साबिक खसरा नंबर 403/1 जिसके नवीन खसरा नं. 731 बनाये गये हैं, के संबंध में आवंटन /नियमन संबंधी आदेश को अभिलेख पर लेकर यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 19.02.2015 के निर्देशानुसार तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार –

1. ग्राम रहड़ तहसील शाहपुरा में स्थित साबिक आराजी नंबर 403/1 रकबा 21.18 बीघा किस्म नाडी जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 के अनुसार बिलानाम अंकित है। उक्त आराजी भू–भाग में रकबा 2 बीघा भूमि गैरखातेदारी हक से मिसल नंबर 44/71 आदेश दिनांक 20.11.77 नामांतरकरण सं. 814 दिनांक 30.07.1972 से हीरा पि. कजोड़ गुर्जर को आवंटन होने से राजस्व अभिलेख में गैरखातेदारी हक से दर्ज किया गया था। तत्पश्चात् आवंटी हीरा का स्वर्गवास हो जाने से विरासत से उक्त आराजी भू–भाग भैरू पि. कजोड़ के नाम अभिलिखित किया गया, तद्परान्त विवादित आराजी भू–भाग का विक्रय होकर पूरा खाता नामांतरकरण सं. 43 दिनांक 19.5.97 से विपक्षीगण के नाम अभिलिखित किया गया है। इस प्रकार किस्म नाडी की भूमि आवंटन की जाकर राजस्व अभिलेख में निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज की गई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में अंकित प्रावधानों के विपरीत व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के भी अनुकूल नहीं है।
2. विवादित आराजी भू–भाग के नवीन बन्दोबस्त के दौरान ख.नं. 731 रकबा 0.51 हैक्टेयर कायम किया गया है। पत्रावली में ग्राम रहड़ की भूमि खसरा नम्बर 403/1 रकबा 2.00 बीघा हीरा पिता कजोड निवासी रहड को नियम की स्वीकृति प्रदान की गयी। आराजी नं. 93 रकबा 7.00 बीघा किस्म नाला नाली में से मिसल नं. 2728/1970 से दिनांक 01.01.1971 को रकबा 0.12 बीघा भूमि अप्रार्थी को आंवटन होने से नामान्तकरण सं. 41 दिनांक 13.07.1972 से गैर खातेदारी दर्ज हुयी।
3. रेफरेन्स प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल में निर्णय दिनांक 19.02.2015 में साबिक खसरा नंबर 403/1 जिसके नवीन खसरा नं. 731 बनाये गये हैं, के संबंध में आवंटन /नियमन संबंधी आदेश को अभिलिखित कराने हेतु तहसील कार्यालय में रिकार्ड तलाश कराया गया, परन्तु कोई रिकार्ड नही मिला है। जिससे प्रकरण में वांछित रिकार्ड अभिलेख पर अभिलिखित करना सम्भव नही हैं।

निर्णय करने से पूर्व विवादित आराजी के आंवटन/नियमन आदेश की पत्रावली देखा जाना हैं। इस संदर्भ में तहसीलदार शाहपुरा से मूल अभिलेख तलब किये जाने पर उनके पत्रांक/राजस्व/19/187 दिनांक 17.06.2019 के द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया गया कि " तहसील कार्यालय के रिकार्ड रूम की छत वर्ष 2004 की अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त होकर ढह जाने से सम्पूर्ण रिकार्ड क्षतिग्रस्त हो चुका हैं। जिससे

रिकार्ड पानी में भीगकर जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से उक्त वांछित निमयन पत्रावली काफी खोजबीन के भी नही मिली जिससे उक्त पत्रावली न्यायालय में प्रेषित नही की जा सकती हैं।''

अप्रार्थी को ग्राम रहड़ तहसील शाहपुरा में स्थित साबिक आराजी नंबर 403/1 रकबा 21.18 बीघा किस्म नाडी जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 में मिसल नंबर 44/71 आदेश दिनांक 20.11.1977 नामांतरकरण सं. 814 दिनांक 30.07.1972 से ही किस्म नाड़ी दर्ज रिकार्ड थी। जिसका आवंटन काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने के बावजूद आंवटन किया गया जो खारिज योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग की किस्म नाड़ी अंकित थी। ऐसी भूमि के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार होकर आवंटन आदेश व संस्थित किए गए नामान्तरकरण को निरस्त कराया जाना युक्ति–युक्त हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं0 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्था
भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किय
जाता हैं। ग्राम रहड़ तहसील शाहपुरा में स्थित साबिक आराजी नंबर 403/1 रकबा 21.1
बीघा किस्म नाडी जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 के अनुसार बिलानाम अंकित है। उक्
आराजी भू–भाग में रकबा 2 बीघा भूमि गैरखातेदारी हक से मिसल नंबर 44/71 आदे
दिनांक 20.11.77 नामांतरकरण सं. 814 दिनांक 30.7.72 से हीरा पि. कजोड़ गुर्जर क
आवंटन होने से राजस्व अभिलेख में गैरखातेदारी हक से दर्ज किया गया था। तत्पश्चा
आवंटी हीरा का स्वर्गवास हो जाने से विरासत से उक्त आराजी भू–भाग भैरू पि. कजो
के नाम अभिलिखित किया गया, तद्परान्त विवादित आराजी भू–भाग का विक्रय होकर पू
खाता नामांतरकरण सं. 43 दिनांक 19.5.97 से विपक्षीगण के नाम अभिलिखित किया गय
है, जिसे विपक्षीगण के नाम से खारिज कर पुनः आराजी नंबर 403/1 रकबा 21.18 बीघ
किस्म नाडी में से रकबा 2.00 बीघा भूमि बिलानाम दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल
राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल
न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)